194

संख्या : —/XXIV(6)/2012

प्रेषकः

विनीता कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल ।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः 18 मई, 2012

विषय : राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14,नवम्बर–2011 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्याःटी0सी0 : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 14,नवम्बर 2011 एवं संशोधित् शासनादेश संख्या : 68/xxiv(6)/2011 दिनांक 13,दिसम्बर–2011 द्वारा नीति का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 14,नवम्बर–2011 के संगत अंशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

1– शासनादेश दिनांकः 14.11.2011 के प्रस्तर–1 में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की व्यवस्था विद्यमान है, के साथ निम्नवत् जोड़ा जाता है :–

ऐसी संस्थायें जो पूर्व से ही स्थापित हैं और प्रथम चरण की सभी शर्ते पहले से ही पूरी करती हों उन्हें सीधे द्वितीय चरण में परीक्षण हेतु विचार किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा । ऐसे मामलों में परीक्षण हेतु यथाआवश्यकता अलग से प्रोफोर्मा विकसित किये जायेंगे।

2– वर्तमान नीति शासनादेश दिनांकः 14.11.2011 के साथ प्रारूप पत्र–1/भाग–1 के बिन्दु संख्या–13 को विलोपित किया जाता है।

3– निजी विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय कैम्पस् अन्य राज्यों की भॉति पॉच वर्ष से पूर्व स्थापित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर सम्यक् प्रस्ताव मा0 मुख्यमंत्री जी को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

....2/

4– वर्तमान नीति शासनादेश दिनांकः 14.11.2011 के प्रथम चरण के प्रस्तर–7 के बिन्दु संख्या–14 के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है :–

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की यदि कुछ सीटें रिक्त रहती हैं तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में एक Cut-off Date निश्चित की जायेगी। उस तिथि तक यदि उत्तराखण्ड के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा ।

5– स्थापित होने वाले निजी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विस्तार से SELF DISCLOSURE करना होगा, ताकि अभिभावक तथा छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके । इस सम्बन्ध में प्रकट की जाने वाली सूचनाओं एवं विवरणों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उसमें समय–समय पर यथाआवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित् समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगें।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 69/XXIV(6)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. संयुक्त सचिव, (उच्च शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. उप सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा संगठन, साउथ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, वेनिटो ज्वारेज मार्ग, नई दिल्ली–110021 ।
7. अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्याः 4/2/IV/XXI/200–सी0एस0 दिनांक 17,मई 2012 के क्रम में सूचनार्थ ।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
9. समिति में नामित समस्त सदस्यगण।
10. कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, ई0सी0 रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही हेतु।

....3/

12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित की उक्त शासनादेश को वेबसाइट में डालने हेतु ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव।